शिवहर।

समाहरणालय, शिवहर

(जिला कल्याण कार्यालय)

बिहार सरकार

दूरभाष संख्या–0622–257263, 257360
Email ID- dm-sheohar.bih@nic.in
Dwo-seo-bih@nic.in

फैक्स संख्या :– 06222–257288
पदाधिकारी का नामः–रजनीकान्त ओझा
मोबाईल नंबर–9430433902

निविदा आमंत्रण सूचना

निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1912 दिनांक 27.05.2008 एवं पत्रांक 1169 दिनांक 16.05.2018 के आलोक में सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1631 दिनांक 27.08.2020 के द्वारा पोषाक आदि की आपूर्ति हेतु निर्धारित दर पर राजकीय अम्बेदकर आवासीय बालिका उच्च विद्यालय, शिवहर (अवस्थित–पुरनहिया) के लिए आमंत्रित की जाती है।

इच्छुक निविदा वाला/फर्म दिनांक 02.01.2021 एवं 04.01.2021 को कार्यालय अवधि में नाजिर से निविदा प्रपत्र खरीद कर दिनांक–05.01.2021 को 01.30 बजे अपराह्न तक जिला कल्याण पदाधिकारी, शिवहर के समक्ष मुहरबंद तकनीकी निविदा समर्पित कर सकते है। तकनीकी निविदायें दिनांक 05.01.2021.को ही अपराह्न 03:30 बजे अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी। निविदा खोलने के समय निविदादाता स्वयं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है। इच्छुक निविदादाता 1000 रू0 का बैक ड्रफ्ट या नगद राशि देकर नाजिर रसीद प्राप्त कर निविदा से सम्बन्धित आवेदन प्रपत्र नाजिर से प्राप्त कर सकते है।

सामान्य शर्ते :–

1. तकनीकी निविदा मुहरबंद लिफाफे में देना अनिवार्य है।
2. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं को साक्षात्कार के आधार पर चयनित किया जाएगा एवं रा0 अ0 आ0 बालिका उच्च विद्यालय (अ0ज0 एवं अ0ज0जा0) शिवहर में (पुरनहिया) अध्ययनरत छात्राओं को पोषाक आदि उनसे राशि प्राप्त कर उपलब्ध कराना होगा।
3. बिना कोई कारण बतायें निविदा रद्द करने, निविदा की शर्तो को संशोधित करने, कार्यहित में एक से अधिक एजेंसी के बीच कार्य को बॉटने का अधिकार जिला क्रय समिति को सुरक्षित रहेगा।
4. छात्राओं को उपलब्ध करायी जाने वाली सामाग्रियों का नमूना निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। नमूना संलग्न नहीं रहने पर उक्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. अनुभवी फर्म को प्राथमिकता दी जाएगी।
6. सामाग्रियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना संबंधित अपूर्तिकत्ता की जिम्मेवारी होगी।
7. निविदाताओं का चरित्र उत्तम एवं आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना चाहिए।
8. भुगतान की कार्रवाई सरकार द्वारा निर्धारित दर पर छात्राओं द्वारा किया जायेगा।
9. कार्य आवंटित होने के पश्चात् कार्य स्थल पर निर्धारित समय से पोषाक आदि सामाग्रियों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सफल निविदादाता को करना होगा।
10. किसी भी परिस्थिति में सरकार द्वारा निर्धारित दर से अधिक के भुगतान सम्बन्धी अनुरोध को स्वीकार नही किया जायेगा।
11. नाजिर से प्राप्त निविदा से सम्बन्धित आवेदन प्रपत्र ही मान्य होगा।
12. अपरिहार्य कारण से भुगतान में विलम्ब होने पर किसी भी प्रकार की सूद की राशि देय नहीं होगी।

13. निविदा आमंत्रण की तिथि एवं समय के पश्चात् निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।

14. Sub Contract मान्य नहीं होगा।

15. बिना कारण बताये निविदा को स्थगित करने या रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

16. निविदा में सफल होने वाले उम्मीदवार को जमानत के रूप में 1,00,000/– (एक लाख) रूपये एकरारनामा के समय जमा करना अनिवार्य होगा, जो अनुबंध के सफल संचालन/समाप्ति के बाद उम्मीदवार को वापस कर दिया जाएगा।

17. समान्यतः निविदा में सफल उम्मीदवार के साथ एक शैक्षणिक सत्र तक के लिए वस्त्र आदि की आपूर्ति करने का एकरारनामा सरकार से प्राप्त निदेश के उपरांत किया जाएगा। यह एकरारनामा अगले सत्र के लिए तभी नवीकृत किया जा सकेगा जब तक छात्राओं द्वारा उक्त अवधि में कोई प्रमाणित शिकायत प्राप्त नहीं हुई हो।

18. **(क) विद्यालय की छात्राओं हेतु पोशाक एवं अन्य आवश्यक सामग्री संबंधी तालिका :–**

क्रमांक	मद का नाम	प्रावधान
1	फ्रॉक/कुर्ता/साड़ी	5 प्रति वर्ष
2	सलवार/पेटीकोट	5 प्रति वर्ष
3	ब्लाउज	5 प्रति वर्ष
4	नाईटी/नाईट सूट	2 प्रति वर्ष
5	समीज	2 प्रति वर्ष
6	अन्तः वस्त्र	6 प्रति वर्ष
7	स्वेटर	2 प्रति वर्ष
8	चप्पल	1 प्रति वर्ष
9	तौलिया	4 प्रति वर्ष
10	जूता–मोजा/सैन्डल	2 प्रति वर्ष
11	सैनिटरी पैड	12 पीस के 12 पैकेट प्रति वर्ष
12	मच्छरदानी, दो बेडसीट, एक कम्बल, चौकी, कुर्सी–टेबूल एवं बर्त्तन आदि	2 प्रति वर्ष

(ख) वस्त्र :–

I. आवासीय विद्यालय में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को वस्त्रादि मद में अनुमान्य राशि का भुगतान DBT माध्यम से छात्र/छात्राओं के बैंक खाते में किया जाएगा।

II. विद्यालय के पोशाक में एकरूपता के लिए विभाग स्तर से डिजाईन एवं रंग के संबंध में दिशा–निर्देश प्राप्त होना प्रकीयाधीन है।

III. छात्र/छात्राओं के बैंक खाते में राशि अंतरित होने के 15 दिनों के अन्दर संबंधित प्रधानाध्यापक विद्यालय में पोशाक क्रय करवाना सुनिश्चित करेंगे तथा संबंधित छात्र/छात्राओं से अभिश्रव प्राप्त कर समेकित अभिश्रव राशि के समायोजना हेतु जिला कल्याण कार्यालय में समर्पित करेंगे।

(ग) पठन–पाठन सामग्री :–

I. संबंधित छात्रा/छात्राओं की विवरणी एवं बैंक खातो में DBT के माध्यम से राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों के आलोक में छात्र/छात्राओं को अनुमान्य राशि उनके खातों में आन्तरित की जायेगी।

II. छात्र/छात्राओं के बैंक खाते में राशि अंतरित होने के 15 दिनों के अन्दर संबंधित प्रधानाध्यापक निविदादाता बाजार में पठन–पाठन सामग्री की उपलब्धता के आलोक में पठन–पाठन सामग्री का क्रय करवाना सुनिश्चित करेंगे तथा संबंधित छात्र/छात्राओं से अभिश्रव प्राप्त कर समेकित अभिश्रव राशि के समायोजन हेतु जिला कल्याण कार्यलय में समर्पित करेंगें।

(घ) बेड सीट, चादर, तकिया, दरी मैट :–

I. सभी आवासीय विद्यालय में अध्ययरनत् छात्र/छात्राओं को बेड सीट, चादर, तकिया, दरी मैट में अनुमान्य राशि का भुगतान DBT के माध्यम से छात्र/छात्राओं के बैंक खाते में किया जायेगा।

II. विद्यालय में बेड सीट, चादर, तकिया, दरी, मैट में एकरूपता के लिए विभाग स्तर से डिजाईन एवं रंग के संबंध में दिशा–निर्देश प्राप्त होना प्रकीयाधीन है।

III. छात्र/छात्राओं के बैंक खाते में राशि अंतरित होने के 15 दिनों के अन्दर संबंधित प्रधानाध्यापक बेड सीट, चादर, तकिया, दरी, मैट का क्रय निविदादाता/बाजार से करवाना सुनिश्चित करेंगे तथा संबंधित छात्र/छात्राओं से अभिश्रव प्राप्त कर समेकित अभिश्रव राशि के समायोजन हेतु जिला कल्याण कार्यालय में समर्पित करेंगे।

(ड़) खेल कूद सामग्री/प्रतियोगिता/पुस्तकालय व्यय/दैनिक समाचार पत्र/पत्रिका

खेल कूद सामग्री/प्रतियोगिता

I. खेल कूल सामाग्रियों की अनुमान्यता के आलोक में छात्रा/छात्रा की गठित समिति के मांग के अनुसार प्रधानाध्यापक के द्वारा अधियाचना जिला कल्याण पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। अधियाचना जिला कल्याण पदाधिकारी राज्य सरकार द्वारा निर्गत वित्तीय अनुदेशों के आलोक में उपलब्ध राशि के अनुरूप खेल–कूद सामग्रियों का क्रय किया जायेगा।

पुस्तकालय

II. छात्र/छात्राओं एवं निशक्षकों की अधियाचना के आलोक में संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा जिला कल्याण पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत समय–समय पर राज्य सरकार के द्वारा निर्गत वित्तीय नियमों के अधीन पुस्तकों का क्रय किया जायेगा, जिसके लिए जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

दैनिक समाचार पत्र/पत्रिका

III. दैनिक समाचार पत्र/पत्रिका पर व्यय होने वाले विपत्रों को प्रति हस्ताक्षर कर प्रधानाध्यापक के द्वारा विपत्र जिला कल्याण पदाधिकारी को समर्पित किया जायेगा, जिसके आलोक में राशि का भुगतान जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

तकनीकी निविदा की शर्ते :–

1. निविदा (Technical) शील्ड मुहर बन्द लिफाफे में ली जाएगी।
2. निविदा के साथ पैन नम्बर, अद्यतन आयकर विवरणी विगत तीन वर्षों का दाखिल करने का साक्ष्य, जी०एस०टी० (वस्तु एवं सेवा कर) संबंधी प्रमाण पत्र एवं अनुभव प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
3. निविदा के साथ 50,000/– (पचास हजार) रूपये का बैक ड्राफ्ट संलग्न करना होगा, जो जिला कल्याण पदाधिकारी, शिवहर के नाम भुगतेय होगा।
4. स्वीकृत निविदादाताओं को छोड़कर शेष निविदादाताओं की जमानत राशि वापस कर दी जाएगी।
5. कोई भी निविदा या दावा शिवहर जिला न्यायिक क्षेत्र के अधीन होगा। विशेष जानकारी के लिए जिला कल्याण प्रशाखा, शिवहर से सम्पर्क कर सकते है एवं विस्तृत जानकारी के लिए बेवसाइट http://sheohar.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।
6. निविदादाता अथवा संबंधित फॉर्म को इस आशय का शपथ–पत्र मूल में समर्पित करना होगा कि उन्हें किसी सरकारी विभाग द्वारा पूर्व में काली सूची में नहीं डाला गया है।

8.12.2020

जिला कल्याण पदाधिकारी,
शिवहर।

उप विकास आयुक्त,
शिवहर।

बिहार सरकार
दूरभाष संख्या–0622–257263, 257360
Email ID- dm-sheohar.bih@nic.in
Dwo-seo-bih@nic.in

समाहरणालय, शिवहर

(जिला कल्याण कार्यालय)

फैक्स संख्या :– 06222–257288
पदाधिकारी का नामः–रजनीकान्त ओझा
मोबाईल नंबर–9430433902

निविदा संख्या.....................दिनांक.........................

निविदा प्रपत्र

1. निविदा देने वाले फर्म का नाम :–..
2. फर्म संचालक का नाम एवं पता :–..
....
3. फर्म का पैन नं0 :–.................................. (छाया प्रति संलग्न)
4. अद्यतन आयकर विवरणी वर्ष ....से दिसम्बर 2020 तक (छाया प्रति संलग्न)
5. निविदा प्रपत्र क्रय करने में उपर्युक्त बैंक ड्राफ्ट/नाजिर रसीद की संख्या......................दिनांक......................
(छाया प्रति सेलग्न)
6. जी0 एस0 टी0 (वस्तु एवं सेवाकर) संख्या..........................(छाया प्रति संलग्न)
7. राजकीय अम्बेदकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बालिका उच्च विद्यालय में पोशाक आदि आपूरित करने का अनुभव प्रमाण पत्र वर्ष....................से ....वर्ष तक (सम्बन्धित पदाधिकारी जिनके समय में वस्त्र आदि की आपूर्ति हुई थी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न)
8. जमानत राशि 50,000 (पचास हजार रू0) मात्र का बैंक ड्राफ्ट सं0...................(छाया प्रति संलग्न)
9. काली सूची में नहीं रहने सम्बन्धी प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न

नोट :– सभी छाया प्रतियाँ फर्म संचालक द्वारा स्वअभिप्रमाणित होंगी तथा निविदा खोलने के समय मूल प्रति दिखानी होगी।

प्रपत्र बेचने वाले नाजिर का हस्ताक्षर

प्रपत्र खरिदने वाले निविदाता/प्राधिकृत
प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

निविदादात/प्राधिकृत प्रतिनिधि का
हस्ताक्षर मुहर के साथ